निर्वाचन आवश्यक/फैक्स/ई0मेल

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1615/रा.नि.आ.-2/1715/2014

दिनांक 19/07/2014

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–2 : देहरादून

विषयः– क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी किया जाना।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में **क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों** के पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या–1613/रा0नि0आ0अनु0–2/1715/2014 दिनांक 19 जुलाई, 2014 जारी की गई है। तद्क्रम में क्षेत्र पंचायतों के समस्त उम्मीदवारों एवं निर्वाचकों हेतु आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावी की जाती है जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

2. उक्त आदर्श आचरण संहिता समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं प्रमुख/उप प्रमुखों के पदं के उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन के संबंध में किये जाने वाले कार्यो/हितों के संबंध में समस्त पर लागू रहेगी।

3. अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि:–

1. मा0 मंत्रीगणों को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाय कि उक्त कारण से क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक भोज/अभिनन्दन, समारोह/सत्कार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग न लें।
2. उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–ए से धारा 171–आई तक के प्राविधान लागू रहेंगे।
3. उपरोक्त अवधि में क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि, भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नहीं दिये जा सकेगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों/टेण्डरों की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी।
4. उक्त अवधि में क्षेत्र पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जाय।

कृपया तदनुसार समस्त संबंधित को सूचित कर अपने स्तर से भी सभी संबंधित को प्रभावी आदेश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः......2

संख्या– 1415 /रा0नि0आ0–2/1715/2014 तद्दिनांक।(फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन/सचिव प्रोटोकॉल, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सभी सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

18/7/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।